गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(ISO 9001 : 2015 एवं ISO 14001 : 2015 प्रमाणित संस्था)

विकास पथ, गाजियाबाद

सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पसौंडा साहिबाबाद, गाजियाबाद के खसरा संख्या–512, 513 एवं 514 मि० की आवासीय भू–उपयोग की भूमि पर श्री महेन्द्र कुमार राजपूत द्वारा स्थापित सी०एन०जी० आउटलेट (न्यू इंडिया सी०एन०जी० सेन्टर) का शमन मानचित्र स्वीकृत हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया है। गाजियाबाद महायोजना 2021 के जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अनुसार आवासीय भू–उपयोग में पेट्रोल पम्प/सी०एन०जी० स्थापना सशर्त अनुमन्य है। उपरोक्त के सम्बन्ध में जन–सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उपरोक्त आवासीय भू–उपयोग में पेट्रोल पम्प/सी०एन०जी० के मानचित्र की स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव देना है तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव दो प्रतियों में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद कार्यालय के जन सम्पर्क कार्यालय अथवा प्रभारी प्रवर्तन जोन–8 के कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 30 दिन के अन्दर किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

प्रभारी प्रवर्तन जोन-8

ई-मेलः helplinegda@gmail.com @gdagzb gdagzb

हेल्पलाईन नंः 0120-3342433, व्हाट्सएपः 9818988807

वेबसाईटः www.gdaghaziabad.com

एक सुन्दर शहर .... हमारा संकल्प